कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1-98/ 1642-43 दिनांक: 21/7/98

विषय:- प्राथमिक विद्यालय/विभाग को स्थाई मान्यता ।

--0--

Ashirwad Public School S.G.M Nagar NIT F.bad को 1.4.98 से पहली से पाँचवीं तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1- यह संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्चों पर स्कूल चलायेगी ।

2- भविष्य में निर्धारित नार्म अनुसार विद्यालय में जे0बी0टी0 प्रशिक्षित अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।

3- विद्यालय में कार्यरत जेबीटी अध्यापकों के छः मास के वेतन की राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लेज्ड न कराई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।

4- वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा ।

5- सभी जेबीटी अध्यापकों की सी0पी0एफ0 की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाया करेगी ।

6- संस्था को शिक्षा की धारा 214 के अन्तर्गत ऐजुकेशन कोड की शर्तों को पूरा करना होगा । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।

7- सी0 डब्ल्यू0 एफ0, रैड क्रास तथा स्पोर्टस फण्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।

8- विद्यार्थियों से फीस फण्डस की राशि सरकारी दरों के अनुसार ली जायेगी तथा लड़कियों की पहली से पाँचवीं तक की शिक्षा के लिये किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी होगी ।

9- शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।

लाज लीका
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद

पृ0 क्रमांक: सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक जी-II/98/ 1021--25 दिनांक 31-7-98.

विषय:- माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

आशीर्वाद पब्लिक स्कूल S.G.M. नगर 21-D फरीदाबाद को

1-4-98 से छठी से आठवी कक्षा (मिडिल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदा की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्च पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के बराबर की राशी जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेंगे । यदि राशी प्लेज्ड न कराई तो मान्यता रदद कर दी जायेंगी ।
4. वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी०पी०एफ० की राशी स्थानीय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था की धारा 14 के अन्तर्गत सभी एजूकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सी०डब्ल्यू०एफ०, रैडक्रास तथा स्पोर्टस फन्ड की राशी का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोईभी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद.

पृ० क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी————
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।
4. डी०एस०ई० भिवानी ।

Principal
Ashirwad Public High School
S.G.M. Nagar, G-Block,
Near 21D Police Chowki, Faridabad

For Ashirwad Public High School
Manager

जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

Lecturer
Govt. S.S.S. No.-1 (T.P.)
971 Faridabad (HR)

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक 23/352-99 वि-1(1) दिनांक, चण्डीगढ़:- 30.8.2000

आशिर्वाद पब्लिक हाई स्कूल एस. जी. एम. नगर फरीदाबाद को दसवीं स्तर तक स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-2000 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रान्ट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे ।
2. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा ।
3. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली विभागीय हिदायतों की पालना करेगा ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो भी नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।
5. अध्यापकों को वेतन क्रास चैक द्वारा दिया जायेगा ।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रखेगा ।
7. शेष फीस राशि 3811/- रूपये एक मास के अन्दर-2 जमा करवायेगा ।

राम गोपाल नागपाल
संयुक्त निदेशक विद्यालय
कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,

पृ0क्र0 -सम- दिनांक:- 1.9.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके यादी क्रमांक ले-1-99/592 दिनांक 7.10-99 के संदर्भ में ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य (सिवाये फरीदाबाद)
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।
4. अधीक्षक आंकडा/ सैकण्डरी राज शाखा स्थानीय
5. मु0अ0 आशिर्वाद पब्लिक हाई स्कूल एस. जी. एम. नगर (फरीदाबाद)

अधीक्षक विद्यालय-1 1/9/2k
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ।

आदेश कमांक– 23/1669-2002-वि04) दिनांक चण्डीगढ 30-12-2002

नियमानुसार जांच उपरान्त आशीर्वाद पब्लिक सी० से० स्कूल एस० जी० एम० नगर फरीदाबाद को केवल शैक्षिक सत्र

2001–2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्टस, कॉमर्स, तथा विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की स्थायी मान्यता निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती हैः–

1 सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार /विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र / छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाऐं अपने खर्च पर उपलब्ध कराएंगे।

2 दस जामा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्हीं को प्रध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एम0 ए0 / एम0 एस0 सी0 / एम0 काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 52 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तो को पालना की जाएगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तिया भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं / शर्तो के अन्तर्गत की जायेगी।

3 सभी छात्र / छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाऐं।

4 जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जाएगी तथा प्रबन्धक उनको पुरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।

5 विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तो का पालन करना होगा।

6 दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जायंगे जिनकी टीचिंग के लिए आवश्यक साधन / सुविधाऐं विद्यालय में उपलब्ध हो तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गयी हो।

7 सरकार / विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी हिदायतें / निदेशों का पालन किया जाएगा।

8 सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पदलन किया जाएगा।

9 प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड निवासी जारी हिदायतों अनुसार किया जएगा ।

10 यह भी सुनिश्चत किया जाए कि विद्यालय के पुस्ताकालय में प्रति छात छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हो ।

11 हरियाणा शिक्षा विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोहित पुस्तकें ही विद्यालय में पढाई जाऐ ।फ

12 संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बंकाया 15750/- राशि जिला शिक्षा अधिकारी. के नाम एक महीने में बैंक में प्लैज करवायी जाए ।

13 विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।

14 भविष्य में छात्र/छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।

15 संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेंगे वह मान्य होंगे।

सुरीना राजन
निदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ

पृ0क0 सम दिनांक चण्डीगढ 30-12-2002
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1 प्रबन्धक आशीर्वाद पब्लिक सी॰ से॰ स्कूल
एस॰ जी॰ एम॰ नगर फरीदाबाद

2 सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

3 जिला शिक्षा अधिकारी FBD को उनको
कमांक G-I/02/1771 दिनांक 3/12/02 के सन्दर्भ में

अधीक्षक विद्यालय--1
कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा ,
चण्डीगढ 30/12